(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **श्री आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2976-तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-05-2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 591/निग./2010-11.

मेहरून्निसा खान पुत्री अकरम खान
निवासी ग्राम गंज वार्ड नं.- 6 नगर पंचायत मऊगंज,
तहसील मऊगंज, जिला रीवा म.प्र.

.....निगराकार

बनाम

अकबर खान तनय याकूब खान
निवासी ग्राम गंज वार्ड क्र.- 6 नगर पंचायत मऊगंज,
तहसील मऊगंज, जिला रीवा म.प्र.

.....प्रत्यर्थी

श्री, लक्ष्मी नारायण मिश्रा अधिवक्ता, आवेदक
श्री बल0एल0 सूर्यवंशी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 10-05-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चोरहारी 281 पटवारी हल्का गंज-255, तहसील मऊगंज जिला रीवा की भूमि खसरा क्र. 2/13ख रकबा 0.050 हे. एवं 5/1ग रकबा 0.121 हे. अनावेदक की पैत्रिक भूमिया हैं जिसके भूमिस्वामी पट्टेदार अनावेदक के पिता याकूब खां और उनके मृत्यु के बाद अनावेदक तनहा भूमिस्वामी दर्ज राजस्व अभिलेख

है। अनावेदक अपने स्वामित्व व अधिपत्य की उक्त आराजियात का नक्शा तरमीम/सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार, मऊगंज के न्यायालय में आवेदन दिया। दिनांक 23-12-10 को तहसीलदार मऊगंज द्वारा तरमीम की पुष्टि की गई । आवेदिका ने दिनांक 30-04-11 को अपर कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 10-05-11 को निगरानी सुनवाई हेतु ग्राहय कर स्थगन आदेश पारित किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24-06-13 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई एवं अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण नक्शा तरमीम से संबंधित है। आवेदिका ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-12-10 के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष समयबाधित निगरानी दिनांक 30-4-11 को प्रस्तुत की । अपर कलेक्टर के समक्ष प्रकरण ग्राहयता, धारा 5 एवं धारा 52 तथा आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत था परन्तु अपर कलेक्टर ने केवल धारा 52 के आवेदन पर आदेश पारित किया है। जब प्रकरण समयबाधित प्रस्तुत होता है तब सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दु का निराकरण किया जाना चाहिए । अपर कलेक्टर द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की इसलिए अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 24-6-13 स्थिर रखा जाता है ।

1/11/18

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर